3

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMEC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| Case No |
|---|
| Name and address of the Complainant |
| Byr= |
| |
| Apple Collins |
| |
| Name, parentage, caste and address of accused |
| |
| 419 X101/810 -41 (1110) 12-12-21011 Rigo 3038 ST KINTHI WAY |
| |
| 그런 용성하다면 물질하다 그는 이 보이는데 되어 되어 하셨다면 바다 그리고 있다면 생각하다. |
| The offence compliment of and divide the local commission |
| The offence, complainant of, and date of, its alleged commission |
| आप पर आरोंप है कि दिनांक 15 1147 मुकास |
| 그는 그는 그는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그를 보는 것이 되었다. 그는 그를 보는 것이 되었다. 그는 그를 보는 것이 되었다. |
| पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने |
| आधिपत्य में289912 लीटर/पाव/बोतल शराब विकयं/परिव्रहन हेतु रखी। |
| ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय |
| अपराध कारित किया। |
| · [4] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10 |
| क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। |
| |
| The plea of the accused and his examination (if any) |
| अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है। |
| |
| |
| CONTON |

- 01 <u>अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1</u> (क) के अधीन दण्डनीय अपराध की अभियोग है। संक्षिप्त विवारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

TO TO THE HOLE

. . .

作素 小

induterent of